प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 382 सन 2022
अनवान :–

1. सावंरगर पुत्र प्रेमगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रेमगर पुत्र नानगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. ओमगिर पुत्र प्रेमगिर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर
3. पार्वती पुत्र प्रेमगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर
4. रोशनी पुत्री प्रेमगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 132/108 की कुल 7.9540हैक में से 4413/7954 हिस्सा व रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 65/57 की कुल 13.5320हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

रोही मौजा बालासर की भूमि पूर्व में वादी के दादा नानगर वल्द खेतगर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नानगर वल्द खेतगर के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानगर वल्द खेतगर के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता नानगर वल्द खेतगर के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 132/108 की कुल 7.9540है० में से 4413/7954 हिस्सा व रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 65/57 की कुल 13.5320है० भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

रोही मौजा बालासर की भूमि पूर्व में वादी के दादा नानगर वल्द खेतगर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नानगर वल्द खेतगर के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानगर वल्द खेतगर के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 132/108 की कुल 7.9540है० में से 4413/7954 हिस्सा व रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 65/57 की कुल 13.5320है० भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

रोही मोजा बालासर की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि नानगर पुत्र खेतगर के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व मे वादी के दादा नानगर पुत्र खेतगर के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानगर पुत्र खेतगर के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी

में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 132/108 की कुल 7.9540हैक में से 4413/7954 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 65/57 की कुल 13.5320हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
[illegible])
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट.......फेफाना